भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *79

जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है

फ्लीट मोड पावर रिएक्टरों का परिचालन

***79 श्री मुजीबुल्ला खान :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने 'फ्लीट मोड' परमाणु विद्युत रिएक्टरों का निर्माण किया गया है, एवं कितने निर्माणाधीन हैं तथा उनकी क्षमता, स्थान, अनुमानित लक्ष्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में इन विद्युत रिएक्टरों के प्रचालन हेतु अपनाई जाने वाली कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन विद्युत रिएक्टरों में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की शुरुआत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (घ) सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"फ्लीट मोड पावर रिएक्टरों का परिचालन" के संबंध में श्री मुजीबुल्ला खान द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *79, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) सरकार ने शीघ्रगामी (फ्लीट) मोड में प्रत्येक 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में, स्थल पर पूर्व-परियोजना गतिविधियां और लंबे समय में प्राप्य मदों का प्रापण कार्य जारी है। विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	**स्थल**	**परियोजना**	**क्षमता (मेगावाट)**	**प्रत्याशित समापन**
कर्नाटक	कैगा	कैगा - 5 व 6	2 X 700	चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2031 तक
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी - 3 व 4	2 X 700	
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका -1 व 2	2 X 700	
राजस्थान	माही बांसवाड़ा	माही बांसवाड़ा - 1 व 2	2 X 700	
		माही बांसवाड़ा - 3 व 4	2 X 700	

(ख) पूर्ण होने पर, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, इन नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को प्रचालित किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। भारत में निर्मित सभी पीएचडब्ल्यूआर के लिए, भारतीय उद्योग एक महत्वपूर्ण साझेदार है। मापयंत्रण और नियंत्रण प्रणाली सहित बड़ी मात्रा में उपकरण और प्रणाली घटकों का निर्माण और आपूर्ति भारतीय उद्योग द्वारा की जाती है।

(घ) वर्तमान नीति परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संयुक्त उद्यम सक्षम हो सके। इन परियोजनाओं की मंजूरी, सरकारी बजटीय समर्थन के माध्यम से सामान्य शेयर के रूप में सहायता का अभिनिर्धारण करती है।

*****